प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) –

जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली में बैंक के फ्लैट हेतु नई सीवर लाइन बिछाने हेतु निविदा

परिसर विभाग

प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड

नई दिल्ली – 110 003

दूरभाष: 011-24649031-35,

ईमेल: parichay@nhb.org.in; sushil.verma@nhb.org.in;

राष्ट्रीय आवास बैंक : नई सीवर लाइन बिछाने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

1. <u>महत्वपूर्ण बोली विवरण</u>		
1.	बोली आरम्भ करने की तिथि	21/09/2017
2.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	05/10/2017 को 15:00 बजे
4.	निविदा बोली खोलने की तिथि एवं समय	05/10/2017 को 16:00 बजे
5.	बयाना जमा-राशि	80,000/- रु.
6.	बोली खोलने का स्थान	बैठक कक्ष राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

टिप्पणी:-

- ***बिड उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित होने के लिए चयनित किए गए हैं।***
- ***उपर्युक्त अनुसूची में परिवर्तन हो सकता है। केवल नामित संपर्क कर्मी को ई-मेल या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से किसी परिवर्तन की सूचना प्रदान की जाएगी।***

- ***दस्तावेजी सबूत/कंपनी के रिकॉर्ड एवं इस आरएफपी के माध्यम से प्रस्तुत सभी आंकड़े/जानकारी रिपोर्ट की जाएगी एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि से उस पर कार्रवाई की जाएगी।***
- **व्याख्या** : आरएफपी, निविदा, बोली शब्द एक-दूसरे के साथ उपयोग किए गए हैं तथा उसे एक ही एवं इस आरएफपी दस्तावेज के उद्देश्य हेतु माना जाएगा। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, रूपांतरण, अनुपूरक आरएफपी जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किए जा सकते हैं, उन्हें आरएफपी के अनिवार्य भाग के रूप में समझा जाएगा तथा साथ में आरएफपी दस्तावेज का गठन किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतीत करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख.रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलूरू, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद तथा कोलकाता में स्थित है।

3. प्रयोजन

जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली पर बैंक के फ्लैट हेतु नई सीवर लाइन बिछाने हेतु निविदा।

4. उद्देश्य

रा.आ.बैंक का प्रयोजन जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली पर बैंक के फ्लैट हेतु नई सीवर लाइन बिछाना है। (32 फ्लैट)

5. कार्य क्षेत्र

I. ट्रेंच की खुदाई एवं मौजूदा नजदीकी संरचना को सपोर्ट (यदि आवश्यक हो)।
II. कार्य की प्रगति पर मौजूदा सीवर लाइन को हिस्सों में ध्वस्त करना।
III. नई सीवर लाइन को बिछाना जिसमें लकड़ी काटना एवं मिट्टी को सपोर्ट करना शामिल है (यदि आवश्यक हो) तथा जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली पर बैंक के फ्लैट हेतु चैम्बर्स, गली ट्रैप, मेनहोल्स का निर्माण (32 फ्लैट) तथा उन्हें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की सीवर लाइन से जोड़ना।

IV. सीवर लाइन को डीजेबी की मुख्य सीवर लाइन से जोड़ना एवं उसके साथ जरूरी सड़क (प्राधिकृत डीजेबी/एमसीडी ठेकेदारों के माध्यम से) को काटा जाएगा। यह कार्य बैंक के फ्लैट के भीतर सीवर लाइन बिछाने से पहले या बाद में किया जा सकता है। अक्तूबर 2017 माह हेतु सड़क काटने की अनुमति बैंक द्वारा ली जा चुकी है। ठेकेदारों को सड़क काटने का कार्य, सीवर लाइन बिछाना, आवश्यक मरम्मत के साथ म्यूनिसिपल मैनहोल से जोड़ना, हंचिंग एवं पीसीसी कार्य, सड़क की सतह को फिर से भरना तथा पहले की भांति सड़क की सतह को एकसमान करना एवं उसके साथ ही कार्य के निर्विघ्न एवं समयसीमा के भीतर पूरा होने के लिए संबंधित सांविधिक प्राधिकरण के साथ समय से संपर्क को सुनिश्चित करना होगा। ठेकेदार को यह भी ध्यान रखना होगा कि 19 अक्तूबर, 2017 को दिवाली है। अत: उसको 19 अक्तूबर, 2017 से पहले या बैंक द्वारा निर्धारित समयसीमा में दोनों तरफ से मुख्य सीवर के साथ जोड़ना होगा।

V. इस कार्य निष्पादन के दौरान, ठेकेदार को स्थल की साफ-सफाई, स्वच्छता को सुनिश्चित करना होगा। सीवेज/गंदा पानी/मलबा आदि को खुले में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे कार्य की समाप्ति पर रोजाना हटाना आवश्यक है। ठेकेदार को निवासियों की स्वच्छ स्थिति हेतु इस अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

VI. यदि ठेकेदार इस व्यवस्था को करने में असमर्थ रहता है तो बैंक किसी भी तरीके से इसे साफ करने का अधिकार रखता है जिसमें ठेकेदार के

जोखिम, लागत एवं परिणाम पर यांत्रिक माध्यम भी शामिल है। इस कार्य पर लगने वाले खर्च को चूक देयता अवधि के दौरान भी ठेकेदार के बिलों/ ईएमडी से वसूला/समायोजित किया जाएगा।

VII. सीवर लाइन बिछाने हेतु फ्लैट का ब्योरा इस प्रकार है:-

क्रम सं.	फ्लैट नं.	फ्लैट नं.
1.	सी-20 भूतल, प्रथम तल	सी -33 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
2.	सी -21 भूतल, प्रथम तल	सी -34 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
3.	सी -22 भूतल, प्रथम तल	सी -35 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
4.	सी -23 भूतल, प्रथम तल	सी -36 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
5.		सी -37 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
6.		सी -38 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
7.		सी -39 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
8.		सी -40 भूतल, प्रथम तल,द्वितीय तल
	कुल 32 फ्लैट	

(क) कार्य का विवरण

संलग्न 'मात्राओं की अनुसूची' में वर्णित एवं दिया गया कार्य।

6. <u>प्रदेय</u>

जैसा कि कार्य क्षेत्र/बीओक्यू में वर्णित है। जीटी, मैनहोल के निर्माण के साथ नई सीवर लाइन, जरूरी सड़क काटने समेत म्यूनिसिपल सीवर लाइन के साथ जोड़ना, संबंधित सांविधिक प्राधिकरण के साथ संपर्क, आवश्यक पिछले आंगन, बाड़े की दीवार, आरसीसी स्टेप, प्लेटफॉर्म ध्वस्त करना तथा पानी की टंकियों, मोटर/पम्प, विद्युतीय प्वाइंट का स्थानांतरण और पिछले आंगन

की फिर से मरम्मत करना तथा इन फ्लैट के निवासियों को बिना किसी परेशानी के कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा।

7. संविदा की अवधि

इस कार्य को करने के लिए कार्य शुरू होने की आभासी तिथि के बाद से चार माह का समय दिया गया है। कार्य शुरू होने की अभासी तिथि बैंक द्वारा कार्य आदेश जारी होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के बाद से गिनी जाएगी। ठेकेदार को कार्य शुरू होने तथा जरूरी सड़क काटने का कार्य पूरी होने, म्यूनिसिपल मैनहॉल तक जल निकासी को जोड़ना और बैंक की आवश्यकताओं एवं निर्देशों के अनुसार सड़क की सतह की मरम्मत को सुनिश्चित करना होगा। यह संविदा कार्य आदेश की तिथि से 6 माह की अविधि तक वैध होगी तथा बैंक एवं वेंडर के बीच आपस बातचीत द्वारा निर्णय कर बढ़ाई जा सकती है।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों या सेवाओं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, वे सही तौर पर कार्य प्रदर्शन हेतु जरूरी या उपयुक्त हैं और उन्हें इस आरएफपी के तहत अंतर्निहित और समाविष्ट समझा जाएगा और वेंडर का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और वेंडर के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

8. बोलीदाताओं को अनुदेश

8.1 सामान्य

- भा.रि.बैंक द्वारा सूचीबद्ध पूर्णकालिक ठेकेदार जो कि अनंतिम रूप से भा.रि.बैंक, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत नहीं है तथा 25-50 लाख रुपए यानी श्रेणी V की लागत के सिविल निर्माण-कार्य हेतु यथा अनुमोदित ठेकेदार इस निविदा को प्रस्तुत करने के लिए पात्र है। ठेकेदारों के अन्य श्रेणी से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा तथा बिना कारण बताए तुरंत रद्द की जा सकती है।
- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- आरएफपी के लिए रा.आ. बैंक को प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने इस बोली/ आरएफपी एवं अस्वीकरण की शर्तों को स्वीकार कर लिया है।
- बोलीदाताओं के लिए यह अपेक्षित है कि निविदा से संबंधित सभी पत्राचारों को नीचे दिए गए संपर्क व्यक्ति के माध्यम से सूचित करे:

श्री परिचय **प्रबंधक (परिसर)**	**श्री सुशील कुमार वर्मा** **परामर्शदाता (परिसर)**	**श्री मोहित कौल** **सहायक महाप्रबंधक**

राष्ट्रीय आवास बैंक : नई सीवर लाइन बिछाने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

parichay@nhb.org.in **दूरभाष : 011-24649031-35**	sushil.verma@nhb.org.in **दूरभाष : 011-24649031-35**	mohit.kaul@nhb.org.in **दूरभाष : 011-24649031-35**

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर निविदा/ आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- इस कार्य का निष्पादन नई दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश की नवीनतम नियमावली के साथ अद्यतित शुद्धि पत्र के तहत होगा। अन्य सभी प्रासंगिक निविदा शर्तें सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों/नियमावलियों के आधार पर लागू होंगी।
- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो संपर्क व्यक्ति से सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10.00 से सायं 05.00 बजे के बीच बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- रा.आ.बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी उत्तर में सुधार या स्पष्ट करने के लिए निविदा/ आरएफपी के बंद होने के बाद, किसी भी बोलीदाता के साथ (या एक साथ एक से अधिक बोलीदाता के साथ) चर्चा या बातचीत में शामिल हो सकता है।

8.2 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ. बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.3 निविदा/आरएफपी का अनंतरणीय

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज अंतरणीय नहीं है।

8.4 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “नोट कर लिया”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का

प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
- संशोधन रा.आ. बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर पोस्ट किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को स्क्रैप करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.6 स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ. बैंक, इस आरएफपी में निर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक, आरएफपी में निर्दिष्ट सूची में से एक या अधिक स्थान/स्थानों को जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.7 बोली में शामिल दस्तावेज (कृपया निर्देशों का पालन करें, यदि कोई है, तो प्रारूप में अलग-अलग निर्धारित किया गया है)

1. **वाणिज्यिक प्रस्ताव**: **अनुलग्नक I** में निर्दिष्ट प्रारूप के साथ **अनुलग्नक II** में निर्दिष्ट कवरिंग पत्र के प्रारूप अनुसार निविदा बोली प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. **अनुलग्नक III** में निर्दिष्ट प्रारूप में, ईसीएस अधिदेश।
3. **अनुलग्नक IV** में निर्दिष्ट अनुपालन विवरण घोषणा।

टिप्पण: ईएमडी राशि के बिना बोलियां रद्द कर दी जाएगी।

8.8 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

8.9 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

(क) सभी प्रत्युत्तर **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 80,000/- रुपए (अस्सी हजार रुपए मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि सहित होने चाहिए। खातों के विवरण निचे दिए गए हैं:

राष्ट्रीय आवास बैंक : नई सीवर लाइन बिछाने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध

	प्रकार	**विवरण**
1.	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2.	लाभार्थी का पता	कोर 5ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
3.	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4.	लाभार्थी की बैंक शाखा का पता	स्कोप कॉम्प्लेक्स शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
5.	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6.	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	एसबीआईएन0020511
8.	एमआईसीआर नं.	110004005

(ख) भुगतान का प्रमाण संलग्न होना चाहिए और अलग लिफाफे में डालना चाहिए; इसके अभाव में बोली को आगे के मूल्यांकन के लिए नहीं माना जा सकता है।

(ग) उचित रूप, राशि और तरीके में ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अनउत्तरदायी और अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(घ)ईएमडी से छूट के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ) यहाँ उपलब्ध या उचित रूप में निर्णायक करार के अनुसार, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर या कार्य/संविदा सौंपने के बाद 30 दिन पर या पहले सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

(च) यहाँ उपलब्ध या उचित रूप में निर्णायक करार के अनुसार, दोष दायित्व अवधि पूर्ण होने के बाद सफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

(छ) ईएमडी प्रतिधारण/प्रतिभूति राशि में समायोजित की जाएगी।

(ज) ईएमडी जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलिदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलीयां वापस ले लेता है।
- यदि बोलिदाता कोई बयान देता है या किसी भी फोर्म को संलग्न करता है जो संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय गलत/त्रुटिपूर्ण हो।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता काम शुरु होने के 45 दिनों के अंदर संविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल होता है।

8.10 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार होगा।

क्रम सं.	**क्रय आदेश**	**वितरण अनुसूची (कार्य आदेश/पत्र सौंपने की स्वीकृती की तिथि से)**

1.	शुरुआती बैठक	कार्य सौंपने के 3 दिन बाद
2.	कार्य शुभारंभ	कार्य सौंपने के 7 दिन के भीतर
3.	कार्य समाप्ति	प्रारंभ होने की तिथि से चार कैलेंडर माह

- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के सफल हस्ताक्षर के बाद बिलिंग चक्र शुरू होगा।

8.11 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित अन्य शर्तें एवं कीमत को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तिथि से 6 महीने की स्वीकृती अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

- अपवादी परिस्थितियों में रा.आ. बैंक वैधता अवधि को बढाने के लिए बोलीदाता की मांग पर सहमती दे सकता है। अनुरोध और उत्तर लिखित में होगा। बोली प्रदान की गई बोली प्रतिभूति भी बढ़ाई जाएगी।

8.12 प्रारूप और बोलियों पर हस्ताक्षर

- वाणिज्यिक बोली को **"वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित किया गया है।

- मूल बोली अमिट स्याही में टाइप या लिखी जाएगी और बोलीदाता को संविदा में बनाए रखने के लिए बोलीदाता या व्यक्ति या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोलियों पर हस्ताक्षर

करने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोलियों के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा।

8.13 **बोलियों की मुहरबंदी और चिह्नांकन**

- नीचे दिए गए पते पर लिफाफा रा.आ. बैंक को संबोधित किया जाएगा:

उप महाप्रबंधक , परिसर
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड
नई दिल्ली- 110003

- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता के टेलीफोन/मोबाइल नं. के साथ नाम और पता इंगित होना चाहिए। वाणिज्यिक प्रस्ताव को एक लिफाफे में रखा जाना चाहिए तथा ईएमडी/ भुगतान के प्रमाण को अलग लिफाफे में। इन दोनों लिफाफों को एक बाहरी लिफाफे में रखा जाना चाहिए।

- लिफाफा बंद होना चाहिए और लिफाफे के ऊपर **"जंगपुरा एक्स्टेंशन, नई दिल्ली में बैंको के फ़्लैट के लिए नई सीवर लाइन बिछाने हेतु प्रस्ताव"** लिखा होना चाहिए।

- यदि लिफाफे को मुहरबंद और चिह्नित नहीं किया जाता है तो, रा.आ. बैंक बोली को गलत स्थान पर रखने या उसको समय से पहले खोलने की जिम्मेदारी नही लेगा।

- ठीक से मुहरबंद न हुई बोली पर विचार नही किया जाएगा और बिना किसी अधिकार के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.14 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा

- बोलियां, निर्दिष्ट पते पर रा.आ. बैंक द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए जैसा कि पहले बताया गया है बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद नहीं।
- रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित होने पर, बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में बोलियां अगले कार्य-दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढाया जाएगा।

8.15 विलंबित बोलीयां

- रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद रा.आ. बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

8.16 रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां खोलना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलीदाता प्रतिनिधि की उपस्थिति में जो निर्दिष्ट तिथि पर बैठक में भाग लेंगे, रा.आ. बैंक समिति द्वारा बोलियां खोली जाएंगी।

- **बोलियां खोलने का स्थान:**

बैठक कक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5ए, चौथा तल, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

- यदि बोली खोलते समय उचित माना जाता है तो बोलीदाता का नाम और अन्य विवरण रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर घोषित करेगा।

8.17 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, उनकी बोली के स्प्ष्टीकरण के लिए बोलीदाता से पूछ सकती है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध एवं उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) में होगा और बोली के सार, वांछित मांग, प्रस्ताव या अनुज्ञसता में कोई परिवर्तन किया जाएगा।

8.18 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, दस्तावेजों को ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित किया गया है; सहायक कागजात/ दस्तावेज संलग्न हैं और बोली सामान्यत: क्रम में हैं।

- रा.आ. बैंक, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बोली में किसी भी मामूली दुर्बलता, गैर अनुरूपता या अनियमितता में छूट कर सकता

है, जो किसी सामग्री विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी बोलीदाता के रिश्तेदार के पद को विघात या प्रभावित नहीं करती है।

- रा.आ. बैंक का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए अंतिम है।

8.19 प्रस्तावित स्वामित्व

बोलिदाता द्वारा प्रस्तुत सहायक प्रलेखन और प्रस्ताव रा.आ. बैंक की संपत्ति बन जाएगी जब तक कि रा.आ. बैंक लिखित में बोलीदाताओं के विशिष्ट आवेदन/आवेदनों से सहमत नहीं है कि प्रस्ताव और प्रलेखन वापस या नष्ट हो जाएंगे।

8.20 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ. बैंक की दिशा / पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत शिकायत में केवल अपनी ही सेवा / समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए काम को आउटसोर्स नहीं करेगा।

8.21 मूल्य संरचना एवं परि वर्तन

- वाणि ज्यि क प्रस्ताव स्थिर मूल्य आधार पर होगा। संविदा की अवधि के दौरान किसी भी कार्य के लिए समनुदेशित कार्य की लागत /करो को

छोड़कर निविदा (वर्तमान एवं भावी) से संबंधित मूल्य परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- कार्य की मात्रा में किसी भी विचलन का भुगतान केवल निविदा स्वीकृत दरों पर ही होगा।
- लागू टीडीएस को समय समय पर सभी भुगतानों में से वसूल किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि अधिनिर्णय पत्र की स्वीकृति की तिथि (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी कोई अन्य तिथि होगी जो रा.आ. बैंक द्वारा निश्चित की गई हो। वही तिथि सपोर्ट सेवाओं, इत्यादि के नवीकरण के लिए मानी जाएगी, यदि लागू हो तो।

8.22 सपोर्ट सेवाओं की यथासमय उपलब्धता

ठेकेदार के पास इस परियोजना के अंतर्गत सभी आवश्यक लकड़ियां, शोरिंग स्ट्रटिंग, अव्यवस्थित भूमि के भाग और आस-पास के ढाँचे को सपोर्ट करने के लिए बांस की मौजूदगी के साथ साथ कार्यस्थल पर सभी अपेक्षित सपोर्ट देने के लिए जरूरी कार्यबल/ सामग्री/ तंत्र/ टीएंडपी/ सुरक्षा घेरा/ सूचना-पट्ट के मामले में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए।

8.23 नियम पुस्तिकाएं/ ड्राइंगें

ठेकेदार को डिजाइन गणना, अभि न्यास योजना प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कार्य के सौंपने के 7 दिनों के भीतर अपने डिजाइनों के समर्थन में सीवर लाइन बिछाने के आर.एल. (घटते स्तरों) और नगरपालिकाओं के मुख्य, पुराने एवं प्रस्तावित नये मेन-होल के इनर्वट लेवल को दर्शाना होगा। ठेकेदार को संविदा

की अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए पूरा प्रलेखीकरण देना होगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं स्पष्ट तौर पर उल्लिखत होनी चाहिए।

8.24 आशोधन एवं आहरण

- एक बोलीदाता केवल एक ही प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि केवल बोली पूर्व बैठक के पश्चात ही बोलियों को प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों के प्रस्तुत करने की अंति म तिथि के पश्चात किसी भी बोली को संशोधित नहीं किया जाएगा।
- **किसी भी बोलीदाता को बोली को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि पता चले कि बोलीदाता एक सफल बोलीदाता है।**
- बैंक को कोई या सभी निविदाएं बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों के प्राप्त नहीं होने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

8.25 बैंक के नियम व शर्तें

1. बैंक की संपत्ति को हुई किसी प्रकार की क्षति को ठेकेदार स्वयं के जोखिम व लागत पर ठीक करेगा।
2. **जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए एजेंसी स्थल पर**

कार्य करने के दौरान स्थल में एक तकनीकी पर्यवेक्षक तैनात करेगी।

3. यह कार्य स्थल में व इसके आसपास में आने-जाने वाले/काम करने वाले बैंक अधिकारियों/वाहनों को परेशान किए बिना दिन व रात्रि में किया जा सकता है।
4. वेंडर इस कार्य में कोई बाल श्रमिक को काम पर नहीं लगाएगा।
5. निर्माण गतिविधियों से संबंधित श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों का पालन ठेकेदार द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
6. ठेकेदार को कार्यस्थल पर कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक उपकरण एवं संयंत्र (टीएंडपी) इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।
7. फर्म को दैनिक कार्य की समाप्ति पर सभी मलबे को साफ करना है।
8. एजेंसी काम पर रखे गये श्रमिकों के आचार सहिंता के लिए जिम्मेदार होगी।
9. कार्य स्थल पर तैनात बैंक के अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि पर संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाय।
10. ठेकेदार को सूचित किया जाता है कि वह कार्य के निष्पादन के लिए दरें उद्धृत करने से पूर्व कम जगह इत्यादि की उपलब्धता, बाधाओं पर ध्यान दे।
11. वेंडर द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा कोई भी ऑफर जो इस आरएफपी में बताई गई प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता हो उसे बैंक के विवेक पर निरस्त किया जा सकता है।
12. रा.आ. बैंक के पास इसका अधिकार सुरक्षित होगा कि वह सभी प्रस्ताव दरों या उसके किसी भाग को स्वीकार करे और एजेंसी

उसके द्वारा उद्धृत दरों पर मानने को बाध्य होगी।

13. वेंडर द्वारा उद्धृत दरों के आंकड़ों अथवा शब्दों में पैदा होने वाली कोई विंगतियों के मामले में केवल शब्दों में उद्धृत दरें ही स्वीकार्य होंगी।

14. ठेकेदार को कार्य आदेश प्रदान करने के पश्चात बैंक के परिसर विभाग के साथ परामर्श करते हुए 7 दिनों की अवधि के भीतर कार्य पूरा करने के लिए कार्यक्रम सूची तैयार करनी है।

15. इन शर्तों के साथ प्रत्येक कार्य एवं विनिर्देशों के संबंध में संभावित मात्राओं की अनुसूची। संभावित मात्राओं की अनुसूची में बैंक के विवेक पर छोड़ना, कटौती अथवा जोड़ते हुए सुधार किया जा सकता है।

16 ठेकेदार उसे सौंपे गये कार्य अथवा उससे जुड़ी किसी उप-संविदा के संशोधन से उत्पन्न देरी अथवा परियोजना के अन्य व्यापार के लिए संविदा प्रदान करने अथवा ऐसे कार्यों के शुरू करने अथवा पूरा करने अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा अन्य निर्माण सामग्री की खरीद अथवा निर्माण के प्रयोजनार्थ जल एवं बिजली कनेक्शन प्राप्त करने अथवा कोई अन्य कारण जो भी हो में हुई देरी सहित कार्य शुरू करने अथवा निष्पादन करने में देरी, देरी का जो भी कारण हो, के कारण उसको हुई कोई हानि के लिए कोई क्षतिपूत्रि का हकदार नहीं होगा एवं बैंक तत्संबंधी कोई दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक ऐसे परिवर्तनों के अधीन जैसा इसके लिए उपलब्ध किया गया है, निविदा राशि के अलावा कोई राशि की देयता स्वीकार नहीं करता है।

17. सफल बोलीदाता कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों की कोई मद पूरा करने के लिए बाध्य है भले ही ऐसी मदें मात्राओं की अनुसूची

एवं दरों में शामिल न हों। कोई अतिरिक्त मद एवं उनकी मात्राओं के संबंध में अनुदेशों की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित में जारी की जाएगी।

18. यह कार्य अद्यतन शुद्धि पत्र के साथ सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों अंक I एवं II के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

19. यह एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह इस कार्य का निष्पादन करने में प्रासंगिक संहिताओं के अनुसार अपेक्षित सुरक्षा उपायों/सावधानियों का ध्यान रखे। राष्ट्रीय आवास बैंक कामगारों के साथ होने वाली कोई दुर्घटना/चोट/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

20. श्रमिकों के काम करने एवं/अथवा आवाजाही, सामग्री इत्यादि पर आरडब्ल्यूए, सुरक्षा, इत्यादि द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं। एजेंसी ऐसे प्रतिबंध/अनुदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी एवं इस विषय में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

21. इस कार्य की अवधि में होने वाली सभी खराबी/पुर्जों का प्रतिस्थापन इत्यादि एजेंसी अपनी लागत पर करेगी और बैंक द्वारा इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

22. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना है कि सड़क काटने का कार्य दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली पुलिस का यातायात विभाग व अन्य प्राधिकारियों की शर्तों के अनुसार हो। यह कार्य दिल्ली जल बोर्ड/ दिल्ली नगर निगम के स्वीकृत ठेकेदारों द्वारा किया जाना चाहिए। ठेकेदार के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्राप्त करे और प्रस्तुत करे कि सड़क काटने का कार्य डीजेबी/एमसीडी द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों द्वारा किया गया

है और यह कार्य निर्धारित सभी आवश्यक सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद ही पूरा किया गया है। बैंक ने पहले ही एमसीडी से आवश्यक अनुमति लेने की व्यवस्था कर ली है। ठेकेदार को सड़क काटने के कार्य को निष्पादित करते समय यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली पुलिस के यातायत नियमों का पालन किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान यदि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया गया और यदि किसी भी अधिकारी द्वारा कोई दंड थोपा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी कि वह दंडों का भुगतान करे। हालांकि, यदि कार्य के समापन के पश्चात भी इन अधिकारियों द्वारा बैंक को किसी सूचना अथवा वसूली के लिए कहा जाता है तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि बैंक उसका भुगतान करे और यह राशि ठेकेदारों के बकाया भुगतानों/अथवा बैंक द्वारा रखी गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित होगी।

23. उद्धृत दरों मदों के लिए ठेकेदारों को संपत्ति दरों का विश्लेषण ठीक प्रकार से करना चाहिए और उसे उद्धृत करना चाहिए क्योंकि बैंक अपनी सुविधा और आवश्यकता के हिसाब से निष्पादन हेतु इन मदों को चुन सकता है। उस मामले में ठेकेदार उनके द्वारा उद्धृत दरों पर उक्त के निष्पादन के लिए बाध्य होंगे।

8.26 विधि शासी संविदा

ठेकेदार लागू नियम के अनुसार इस कार्य को पूरा करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा कि ठेकेदार के

कर्मी लागू नियम का अनुपालन करते हों। ठेकेदार इसमे शामिल नहीं होगा और स्वयं की लागत पर उसका अनुरक्षण करेगा, सभी जोखिमों के लिए उचित बीमा करेगा तथा सभी कवरेज हेतु कर्मचारी प्रतिपूर्ति, समनुदेशन पर सारे स्टाफ़ के लिए रोजगार देयता बीमा, व्यापक सामान्य देयता बीमा करेगा जिसमें समनुदेशन के लिए ठेकेदार अथवा उनके स्टाफ़ से हुई किसी चूक के कारण सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को होने वाली किसी क्षति अथवा संपत्ति को होने वाली किसी हानि के लिए सभी नुकसानों, लागतों और प्रभार तथा व्ययों के विरुद्ध दायि त्व की क्षति पूर्ति को पूरा करने के लिए किए गए पर्याप्त संविदात्मक देयता कवरेज शामिल हों।

8.27 ठेकेदार की देयता

इस कार्य निष्पादन में ठेकेदार द्वारा हुई किसी चूक के परिणामस्वरूप ठेकेदार इस संविदा के प्रावधानों के अनुरूप सेवाओं के कार्य निष्पादन हेतु और बैंक को होने वाली किसी क्षति के लिए रा.आ. बैंक को उत्तरदायी होगा, जो निम्नलिखित सेवाओं के अधीन होगा:

(क) ठेकेदार ठेकेदार और उसके कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति की भूल या चूक, लापरवाही अथवा इस कार्य से हुई किसी हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा; और

(ख) ठेकेदार ऐसी किसी हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उन परिस्थितियों में हुई हो जिस पर ठेकेदार का कोई नियंत्रण नहीं हो।

8.28 ठेकेदार को कमीशन, बट्टे, इत्यादि से लाभ प्राप्त नहीं होगा

रा.आ. बैंक द्वारा ठेकेदार के भुगतान के अंतर्गत संविदा या सेवाओं के संबंध में ठेकेदार का केवल भुगतान ही आएगा और ठेकेदार अपने किसी निजी लाभ के लिए संविदा के तहत दायित्वों के निर्वहन के रूप में इस संविदा अथवा सेवाओं के अनुवर्ती गतिविधियों के संबंध में कोई व्यापार कमीशन, छूट और उस तरह का वेतन नहीं लेगा और ठेकेदार यह सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास करेंगे कि उनके कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई अन्य भुगतान न प्राप्त हुआ हो।

8.29 जवाबदेही

बोलीदाता इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा कि यदि उसका चयन एक सफल बोलादाता के रूप में हुआ और संविदा का समनुदेशन उसको किया गया तो उसके द्वारा रा.आ. बैंक को प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली किसी सेवा और/अथवा सूचना देने/ की गई/की जाने वाली आपूर्ति के लिए वह जवाबदेह होगा। नैतिक व्यवसाय, व्यावसायिकता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना/सेवाऐं विचारार्थ हैं। बोलीदाता किसी भी अनुचित निर्वहन और/अथवा बोलीदाता के अविकृत आचरण के लिए के लिए उत्तरदायी होगा।

8.30 निजी देयता

बोलीदाता यह समझता है कि यदि उसका चयन एक सफल बोलीदाता के तौर

पर होता है तो बोलीदाता से यह अपेक्षा है कि वो अपना कार्य समुचित सावधानी के साथ करे और वह व्यवसाय के प्रचलित मानकों के अनुरूप हो।

8.31 पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा

बोलीदाता इस बात का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा कि यदि उसका चयन एक सफल बोलादाता के रूप में हुआ तो वह विषय वस्तु के विनिर्देशों और डिज़ाइन की तकनीक व निर्धारण के चयन, बोली पात्रता मानदंड और बोली मूल्यांकन मानदंड, निविदा की प्रणाली, निविदा अधिसूचना, इत्यादि से संबंधित मामलों में रा.आ. बैंक को सूचना/सेवा प्रदान करने के समय सभी भावी निविदाकर्ताओं/ बोलीदाताओं के लिए पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था, दक्षता और समान अवसर दिए जाने का ध्यान रखेगा।

8.32 समय की वृद्धि

किसी भी ऐसी अवधि जिसके भीतर कोई पार्टी इस संविदा के अनुवर्ती किसी कार्य अथवा काम को पूरा करने में जितना समय लेती, तो उस समय को उतने समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा जितने समय में वो पार्टी उस कार्य को किसी अप्रत्याशित घटना की वजह से पूरा करने में असमर्थ रही।

8.33 बोली लगाने वाली कंपनियों की नियम व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के नियम व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी नियम व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे

उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

8.34 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.35 प्रस्ताव की सामग्री

वेंडरों के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसीलिए यह आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.36 कानूनों का अनुपालन

(क) ठेकेदार को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर

अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) ठेकेदार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/ अधिकारीगणों/ कर्मचारीवर्ग/ कार्मिकों/ प्रतिनिधियों/ एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास ठेकेदार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत ठेकेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. <u>वाणिज्यिक नियम व शर्तें</u>

9.1 मूल्य

क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
ख) मूल्य निविदा की पूर्ण संविदा अवधि के लिए वैध हो।
ग) मूल्य में सभी लागू कर समाविष्ट नहीं हों।
घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य संविदा में बोलीदाता के कार्य निष्पादन के दौरान स्थिर होगा।
ड.) समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ प्रस्तुत की गई बोली को गैर-उत्तरदायी के तौर पर माना जाएगा और रद्द किया जाएगा।

9.2 भुगतान शर्तें

एसएलए को निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार हस्ताक्षरित करने के पश्चात ही किसी भुगतान को जारी किया जाएगा।

	दोष देयता अवधि	काम के पूरा होने के पश्चात 12 महीने
	अंतिम माप की अवधि	दो महीने
	प्रारंभ करने की तिथि	कार्य सौंपने के 7 दिनों के भीतर

	समापन की तिथि	प्रारंभ करने की नि यत तारीख के पश्चात चार महीने
	अंतरिम भुगतानों हेतु कार्यों का मूल्य	कुल 3 बिल प्रत्येक चालू बिल के लिए किए गए कार्यों का न्यूनतम मूल्य 10 लाख रूपये का हो
	प्रति धारण राशि/ प्रतिभूति जमाराशि	प्रत्येक चालू बिल में से कुल परियोजना लागत का 10% वसूल किया जाए

9.3 संविदा की समाप्ति की स्थिति में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू दंड और टीडीएस /अन्य करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य नियम व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in **– What’s New**

Annexure- I					

Providing and laying new sewer line in the Bank's flats at Jangpura extension New Delhi

S.No	DSR. S.No	Work Description	Units	Qty	Rate (in figures)	Rate (in words)	Amount
1	15.2	Demolishing cement concrete manually/ by mechanical means including disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer - in - charge					
1.i	15.2.1	Nominal concrete 1:3:6 or richer mix (i/c equivalent design mix)	cum	8			
2	2.10	Excavating trenches of required width for pipes, cables, etc including excavation for sockets, and dressing of sides, ramming of bottoms,depth upto 1.5 m, including getting out the excavated soil, and then returning the soil as required, in layers not exceeding 20 cm in depth, including consolidating each deposited layer by ramming, watering, etc. and disposing of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50m					
2.i	2.10.1.2	Pipes, cables etc. exceeding 80 mm dia. but not exceeding 300 mm dia	metre	300			
3	2.11	Extra for excavating trenches for pipes, cables etc. in all kinds of soil for depth exceeding 1.5m, but not exceeding 3 m. (Rate is over corresponding basic item for depth upto 1.5 metre).	metre	50			
4	19.2	Providing and laying cement concrete 1:5:10 (1 cement : 5 coarse sand :10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) all-round S.W. / RCC pipes including bed concrete as per standard design :					
4.i	19.2.2	150 mm diameter S.W. pipe	meter	200			
4.II	19.2.3	200 mm diameter S.W. pipe	meter	Q.R.			
4.III	19.2.4	250 mm diameter S.W. pipe	metre	150			

5	19.6	Providing and laying non-pressure NP2 class (light duty) R.C.C. pipes with collars jointed with stiff mixture of cement mortar in the proportion of 1:2 (1 cement : 2 fine sand) including testing of joints etc. complete :					
5.1	19.6.2	150 mm dia. R.C.C. pipe	metre	200			
5.II	NS	200 mm dia. R.C.C. pipe	metre	Q.R.			
5.III	19.6.3	250 mm dia. R.C.C. pipe	metre	150			
6	19.4	Providing and fixing square-mouth S.W. gully trap class SP-1 complete with C.I. grating brick masonry chamber with water tight C.I. cover with frame o f 300 x300 mm size (inside) the weight of cover to be not less than 4.50 kg and frame to be not less than 2.70 kg as per standard design:					
6.I	19.4.1	19.4.1 100x100 mm size P type					
6.II	19.4.1.1	With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	each	68			
7	19.7	Constructing brick masonry manhole in cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) with R.C.C. top slab with 1:2:4 mix (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size), foundation concrete 1:4:8 mix (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size), inside plastering 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished with floating coat of neat cement andmaking channels in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) finished with a floating coat of neat cement complete as per standard design					
7.I	19.7.1	Inside size 90x80 cm and 45 cm deep including C.I. cover with frame (light duty) 455x610 mm internal dimensions, total weight of cover and frame to be not less than 38 kg (weight of cover 23 kg and weight of frame 15 kg) :					

7.II	19.7.1.1	With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	each	52			
8	19.8	Extra for depth for manholes :					
8.I	19.8.1.1	Size 90x80 cm					
8.II	19.8.1.1	With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	metre	60			
9	19.9	Constructing brick masonry circular type manhole 0.91 m internal dia at bottom and 0.56m dia at top in cement mortar 1:4 (1 cement :4 coarse sand), in side cement plaster 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished with a floating coat of neat cement, foundation concrete 1:3:6 mix (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40 mm nominal size), and making necessary channel in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) finished with a floating coat of neat cement, all complete as per standard design :					
9.I	19.9.1	0.91 m deep with S.F.R.C. cover and frame (heavy duty, HD-20 grade designation) 560 mm internal diameter conforming to I.S. 12592, total weight of cover and frame to be not less than 182 kg., fixed in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including centering, shuttering all complete. Excavation, foot rests and 12mm thick cement plaster at the external surface shall be paid for separately) :					
9.II	19.9.1.1	With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5	Each	5			
10	19.10	Extra depth for circular type manhole 0.91m internal dia (at bottom) beyond 0.91 m to 1.67m					
10.I	19.10.2	With Sewer bricks conforming IS : 4885	metre	6			

11	2.25	Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, plinth,sides of foundations etc. in layers not exceeding 20cm in depth,consolidating each deposited layer by ramming and watering, lead up to 50 m and lift upto 1.5m.	cum	450			
12	16.13	Cutting road and making good the same including supply of extra quantities of materials i.e. aggregate, moorum screening, red bajri and labour required.					
12.I	16.13.1	bituminous portion	cum	10			
12.II	16.13.2	Water bound macadam / CC Road	cum	10			
13	19.21	Making connection of drain or sewer line with existing manhole including breaking into and making good the walls, floors with cement concrete 1:2:4 mix (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 nominal size) cement plastered on both sides with cement mortar 1:3mm(1 cement : 3 coarse sand), finished with a floating coat of neat cement and making necessary channels for the drain etc. complete :					
13.I	19.21.1	For pipes 100 to 250 mm diameter	each	4			
14	19.15	Providing M.S. foot rests including fixing in manholes with 20x20x10 cm cement concrete blocks 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) as per standard design :					
14.I	19.15.1	With 20x20 mm square bar	each	20			

15	NS	Liaisoning work with local statuary authorities for arranging sewer connection to the municipal main sewer line in all respect including necessary arrangement and precautionary steps for road cutting, road repairs. Making arrangement for required barricading and putting fences, sign board and proper Illumination by lighting and also to ensure security of the worksite from any untoward incident / accident for smooth completion of the work. The safety and security of the workers and properties will also be insured against any losses and damages. (including all related works) through DJB / MCD / traffic police / labour & Tax authorities etc. necessary road cutting permission has already been arranged by the Bank for the period 1/10/2017 to 31/10/2017 (critical and time activity)	LS				
16	4.1	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level :					
16.I	4.1.3	1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20mm nominal size)	cum	50			
16.II	4.1.8	1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)	cum	50			
17	15.7	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge.					
17.1	15.7.4	In cement mortar	cum	10			
18	6.2	Brick work with common burnt clay modular bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in:					
18.1	6.2.2	Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand).	cum	10			

19	13.72	Washed stone grit plaster on exterior walls height upto 10 metre above ground level, in two layers, under layer 12 mm cement plaster 1:4 (1 cement : 4 coarse sand), furrowing the under layer with scratching tool, applying cement slurry on the under layer @ 2 Kg of cement per square metre, top layer 15 mm cement plaster 1:1/ 2:2 (1 cement: 1/2 coarse sand : 2 stone chipping 10 mm nominal size), in panels with groove all around as per approved pattern, including scrubbing and washing the top layer with brushes and water to expose the stone chippings ,complete as per specification and direction of Engineer-in- charge (payment for provoding grooves shall be made separately).	sqm	250			
20	11.26	Kota stone slab flooring over 20 mm (average) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab, including rubbing and polishing complete with base of cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 coarse sand) :					
20.I	11.26.1	25 mm thick	sqm	700			
21	15.56	Dismantling old plaster or skirting raking out joints and cleaning the surface for plaster including disposal of rubbish to the dumping ground within 50 metres lead.	sqm	250			
22	11.27	Kota stone slabs 20 mm thick in risers of steps, skirting, dado and pillars laid on 12 mm (average) thick cement mortar 1:3 (1 cement: 3 coarse sand) and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slabs, including rubbing and polishing complete.	sqm	60			
23	14.66	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade :					
23.I	14.66.1	Old work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/ 10 sqm) on existing cement paint surface	sqm	500			

24	13.46	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade :					
24.II	13.46.1	New work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 2.20 kg/10 sqm)	sqm	250			
25	19.5	Dismantling of old S.W./ NP2 exiting pipes including breaking of joints and bed concrete stacking of useful materials near the site within 50 m lead and disposal of unserviceable materials into municipal dumps					
25.I	19.5.1	100 mm diameter	meter	100			
25.II	19.5.2	150 mm diameter	meter	140			
26	19.24	Dismantling of manhole including R.C.C. top slab, C.I. cover with frame, including stacking of useful materials near the site and disposal of unserviceable materials into municipal dumps within 50 m lead					
26.I	19.24.2	Rectangular manhole 120x90 cm and 90 cm deep	Each	50			
26.II	19.24.3	Rectangular arch type manhole 140x90 cm and 2.45 m deep	Each	2			
27	19.21	Making connection of drain or sewer line with existing manhole including breaking into and making good the walls, floors with cement concrete 1:2:4 mix (1 cement: 2 coarse sand: 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) cement plastered on both sides with cement mortar 1:3 (1 cement: 3 coarse sand), finished with a floating coat of neat cement and making necessary channels for the drain etc. complete:					
27.I	19.21.1	For pipes 100 to 250 mm diameter	Each	4			
28	10.2	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	kg	700			

29	10.5	Providing and fixing 1mm thick M.S. sheet door with frame of 40x40x6 mm angle iron and 3 mm M.S. gusset plates at the junctions and corners, all necessary fittings complete, including applying a priming coat of approved steel primer.					
29.I	10.5.2	Using flats 30x6mm for diagonal braces and central cross piece	sqm	25			
30	NS	Removing the exiting PVC surface water tanks and re-fixing the same at the nearby new location as directed by the Engineer in- Charge by making all necessary connections by using the same GI materials. Prepairing the base surface for properly keeping the water tank. Necessary preparing the Cement masonary platform upto 45 to 50 CMtrs with proper finishing and refixing the existing motor pumps with necessary new elelctrical power ponits by shifting and using the same material as directed. Contractor are expected to execute this item with due precision. During execution if some old material gets damaged in it handling than same materials are required to be replaced by putting new/ extra /additional required materials to make the connection. The contractor has to ensure continuous water supply to the occupants of the flats on the same day.	Each	32			
		Total Amount					
		Rebate if any					
		Net amount					
		Tax applicable					
		Say					
Amount in Words							
directed by the Engineer-in-Charge of the work							

Selection criteria :- The firm quoting the lowest bid will be selected and invited for negotiations (if any).

Contracator signature

(Seal of the company)

Date: -

Place

I-A

SPECIFICATIONS

he works shall be executed as per CPWD specification Vol I and Vol II, 2009 with up to date correction slip

I-B

Sl No	Safety Code
1	Sufficient first aid appliances including adequate supply of sterilized dressings and cotton wool should be available at the work site.
2	Injured person(s) shall be taken by the Contractor to a nearest hospital without loss of time, in cases where the injury necessitates hospitalization.
3	Suitable and strong scaffolds should be provided for workers for all works that cannot safely be done from ground.
4	No portable single ladder shall be over 8 meters in length. The width between the said rails shall not be less than 30 cms (clear) and the distance be
5	(i) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or readymade paint.
	(ii) The workers should supply suitable facemasks for use when the paint is applied in the form of spray or surface having lead paint dry rubbed
6	Hoisting machines and tackle used in the works, including their attachments anchorage and supports shall be in perfect condition.
7	The ropes used in hoisting or lowering material or as a means of suspension shall be of durable quality and adequate strength and free from defect
8	All the labours engaged in the work have to be insured properly against any accident at site.

I-C

LIST OF APPROVED MATERIALS

S. No.	Material	Brand Name
1	Cement	ACC, Ambuja, Ultratech
2	GSW Pipe / NP2 class pipe	le of standard brand and manufacture shall be approval by the Engineer –in-cha
3	Stone aggregate	
4	Bricks	
5	N.H. Covers	